पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

जहाँ सेवा ही जीवन– ध्येय है

Punjab & Sind Bank

(A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life

शाखा कार्यालय : जी.टी. रोड, जिला गाजियाबाद–201006, ईमेल– g0749@psb.co.in

[नियम 8(1)) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम के तहत पंजाब एण्ड सिंध बैंक, शाखाः एस.डी. कॉलेज, जी.टी. रोड, जिला गाजियाबाद–201006 शाखा का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नीचे तालिका में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए धारा 13(2) के तहत मांग सूचना जारी की थी।

कर्जदार/रों द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल होने के कारण एतद्वारा विशेष रूप से कर्जदारों/जमानतियों और जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में अधोहस्ताक्षरी ने नीचे उल्लिखित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जमानती एवं जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार नीचे वर्णित राशि तथा उस पर भावी ब्याज, लागतों एवं अन्य व्ययों के लिए के लिए प्रभार का विषय होगा।

खाता/कर्जदार(रों)/जमानती(यों) के नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण	बकाया राशि (धारा 13(2) की सूचना में उल्लिखित के अनुसार)	सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि
मो. सलीम पुत्र मो. इलियास. निवासी मकान नंबर 2267 गली नंबर 5, इस्लाम नगर, गाजियाबाद, यूपी। 201001, मोहम्मद इलियास पुत्र स्व. अब्दुल हमीद, निवासी। खसरा नंबर 627/2, और 628 मीटर देवी मंदिर के पीछे, कंचन कंपाउंड, द्वारकापुरी गाजियाबाद, यूपी 201001 एवं मो. तसलीम पुत्र मोहम्मद इलियास, निवासी 325 मलीन बस्ती (छोटा कैला), गाजियाबाद, यूपी 201001	खसरा संख्या 627/2 मी और 628 मी, कंचन कंपाउंड, द्वारकापुरी, कैला, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201001 में मोहम्मद इलियास पुत्र अब्दुल हमीद के नाम पर संपत्ति का समस्त भाग, एसआर–वी गाजियाबाद के कार्यालय में विधिवत पंजीकृत है, मूल बिक्री विलेख पुस्तक संख्या–1, खंड संख्या 2229 में दस्तावेज संख्या 3057 के रूप में पृष्ठ 169 से 180 पर पंजीकृत, 17.07.2009 को पंजीकृत। संपत्ति की सीमा इस प्रकार हैः पूर्वः प्रदीप शर्मा की संपत्ति, पश्चिमः राजेंद्र शर्मा की संपत्ति, उत्तरः राजेंद्र शर्मा की संपत्ति, दक्षिणः 30 फीट चौड़ी सड़क।	रु. 15,30,974.00 (रुपये पंद्रह लाख तीस हजार नौ सौ चौहत्तर मात्र) भावी ब्याज और आकस्मिक शुल्क सहित दिनांक 18.06.2024 से, यदि कोई वसूली हो तो उसे घटाकर।	01.08.2024	05.02.2025

तिथि : 09.02.2025 स्थान : गाजियाबाद

अधिकृत प्राधिकारी (पंजाब एण्ड सिंध बैंक)

---

pnb Housing Finance Limited
Ghar Ki Baat

परिशिष्ट –4–क अचल सम्पत्ति(यों)की ई–नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालय : – 9 वी मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के जी मार्ग, नई दिल्ली –110001 फोन : – 011–23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com
ग्रीन पार्क शाखाः–पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बिल्डिंग नंबर एस–8, उपहार सिनेमा कॉम्प्लेक्स, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110016

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कालम नंबर –ए में निर्दिशित कर्जदार(रों) एवं गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित कालम नंबर–डी में वर्णित अचल सम्पत्ति(यों), जिसका प्रतीकात्मक/भौतिक कब्जा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल)/प्रत्याभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है (कालम नंबर–सी में वर्णितानुसार) नीचे दिए विवरण के अनुसार **"जैसी है जहां है", जैसी है जो है"** तथा **"जो भी है वहां है"** आधार पर बेची जाएगी। एतद्द्वारा कालम नंबर –ए में निर्दिशित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं)/संबंधित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं) (मृत्योपरान्त) के कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों, (चाहे ज्ञात अथवा अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(यों), समनुदेशिती(यों) को, जैसी भी स्थिति है, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 अद्यतन संशोधित के नियम 8(6) एवं 9 के तहत सूचना दी जाती है।
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामतः **www.pnbhousing.com** में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

ऋण संख्या, कर्जदार/सह–कर्जदार का नाम गारंटर(रों) (ए)	मांग सूचना मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्जा का प्रकार (सी)	बंधक रखी सम्पत्तियों का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ)	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि राशि (एच)	निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात ऋणभार/न्यायालय मामला यदि कोई, (के)
HOU/FBD/0719/731177, बी. ओ.: ग्रीनपार्क, बिजेंद्र कुमार दास/प्रियदर्शिनी दास	26.04.2024 तक रु. 2107981.91	प्रतीकात्मक कब्जा	टावर बी2, 12, 1201, हैबिटेट 78 अफोर्डेबल हाउसिंग, सेक्टर 78 फरीदाबाद हरियाणा–121007	रु. 2366000	रु. 236600	11.03.2025	रु. 10000	03.03.2025 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05:30 बजे	12.03.2025 अप. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे	Not Known

*उसके भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर भावी ब्याज, उपगत किए गए आनुषंगी खर्चे, लागत, प्रभारों इत्यादि सहित। 'पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरिवर्णित अचल/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावे नहीं हैं सिवाय उनके जो कालम नंबर–के में वर्णित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन ऋणभारों का भुगतान/अदायगी सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा उसकी अपनी व्यवस्था द्वारा की जाएगी। सफल क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से वर्णित ऋणभारों की सत्यता का अभिनिश्चयन स्वतंत्र रूप से करने का अनुरोध किया जाता है।

1. आज की तिथि तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी पर उपरोक्त अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री, हस्तांतरण तथा/अथवा निपटान के संबंध में कोई प्रतिबंध आदेश तथा/अथवा न्यायालय निषेधादेश लागू नहीं है। 2. संभावित क्रेता/बोलीदाता तथा इच्छुक पार्टियां कालम नंबर–के में वर्णित, कार्यवाही/पारित आदेश इत्यादि, यदि कोई, में बहस, जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध उसके स्वामित्व के साथ संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है परन्तु उसी तक सीमित नहीं है, का निरीक्षण स्वतंत्र रूप से कर सकती है तथा सभी संदर्भों में अपनी संतुष्टि अपनी निविदा/बोली आवेदन प्रस्तुत करने अथवा ऑफर(रों) प्रस्तुत करने से पहले कर सकती हैं। बोलीदाता(ओं) को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे। 3. कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% (बयाना सहित) जमा करने के लिए बाध्य है। पैसा, यदि कोई हो, जमा किया गया) उसी दिन या अगले कार्य दिवस की तुलना में बाद में नहीं। सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त करने के बाद ही (बोली लगाने वाले) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टि पत्र की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता द्वारा बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और इस तरह की जमा राशि के डिफ़ॉल्ट होने पर, संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। 4. **मैसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री संचालन में प्राधिकृत अधिकारी कॉर्पोरेट कार्यालय पता : प्लॉट नंबर 68, तृतीय तल, सेक्टर–44, गुरुग्राम, हरियाणा–122003 वेबसाइट–**www.bankeauctions.com** सहायता करेगी। संपत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, पीएनबीएचएफएल प्राधिकृत अधिकारी **नीरज कुमार संपर्क नंबर 1800 120 8800**, या सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अथवा **www.pnbhousing.com** पर देखें।

स्थानः ग्रीनपार्क, दिनांक: 09.02.2025

प्राधिकृत अधिकारी, मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

वाणी कमर्शियल्स लिमिटेड

रजि.कार्यालयः खसरा नंबर 19/4, कमरुद्दीन नगर, बटरफ्लाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास, नजफगढ़ रोड, नांगलोई, दिल्ली–110041
सीआईएनः L74899DL1988PLC106425
ई–मेल आईडी info: vanicommercials.com,
फोन नंबरः 91–9560066230

कंपनी की ईजीएम में ई–वोटिंग/रिमोट ई–वोटिंग के परिणाम की घोषणा की सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 ,यथा संशोधित की धारा 96, 108 और अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के लागू विनियमों, समय–समय पर संशोधित के अनुपालन में, ई–वोटिंग/रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से सदस्यों की मंजूरी मांगी गई थी। कंपनी ने बुधवार, 15 जनवरी, 2025 की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) की सूचना में प्रस्तावित विशेष प्रस्तावों पर अपने वोट डालने के लिए सदस्यों को ई–वोटिंग के साथ–साथ रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान की थी। बोर्ड ने ई–वोटिंग/रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए श्री शैलेंद्र कुमार रॉय, कंपनी सचिव को संवीक्षक नियुक्त किया था। संवीक्षक ने प्राप्ति की अंतिम तिथि यानी शुक्रवार, 7 फरवरी, 2025 को शाम 5.00 बजे तक प्राप्त सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटों की जांच की है और ईजीएम में की गई ई–वोटिंग की भी जांच की है और शनिवार, 8 फरवरी, 2025 को कंपनी के निदेशक मंडल को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। शनिवार, 8 फरवरी, 2025 की जांचकर्ता की रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड ने निम्नानुसार ईजीएम के परिणाम घोषित किए हैं:

क्रम सं	संकल्पों का विवरण	संकल्पों के पक्ष में डाले गए कुल वैध मतों का:
1	श्री गौरव मल्होत्रा (डीआईएनः 07351641) को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए विशेष संकल्प	100
2	श्रीमती इशिता जिंदल (डीआईएनः 10907315) को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए विशेष संकल्प	100

संवीक्षक की उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर, 15 जनवरी, 2025 की कंपनी की ईजीएम की सूचना में निर्धारित संकल्प को शनिवार, 8 फरवरी 2025 को रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया के लिए कंपनी द्वारा निर्दिष्ट अंतिम तिथि है और शनिवार, 8 फरवरी, 2025 को आयोजित ईजीएम में उपस्थित सदस्यों द्वारा ई–वोटिंग की गई, को अपेक्षित बहुमत के साथ सदस्यों द्वारा विधिवत अनुमोदित माना जाता है। ई–वोटिंग/रिमोट ई–वोटिंग के परिणाम शनिवार, 8 फरवरी, 2025 को घोषित किए गए। संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ परिणाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध हैं। इन्हें कंपनी की वेबसाइट **https://www.vanicommercials.com**, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट : **https://www.skylinerta.com** और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट : **https://www.bseindia.com** पर भी प्रदर्शित किया गया है।

वाणी कमर्शियल्स लिमिटेड
के बोर्ड के आदेशानुसार
हस्ता./–
इशिता अग्रवाल
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सदस्यता संख्या ए65528

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 08.02.2025

For All Advertisement Booking
Call : 0120-6651214

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI

अंचल कार्यालय : गाजियाबाद अंचल, पताः 32–बी, सेक्टर–62, नोएडा–201307

[नियम 8(1) देखें] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के **बैंक ऑफ इंडिया, अंचल कार्यालय** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 का 54) के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियो के अंतर्गत **उधारकर्ता- नदीम अली अब्बासी पुत्र निजामुद्दीन और गारंटर- श्री निजामुद्दीन पुत्र ख्वाज बखुस और श्री नसरुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन सभी 11-2/114, कोटला यूसुफ, बुलंदशहर रोड, जिला- हापुड़ यूपी-245101 और प्लॉट नं. 17, खसरा नं. 816 का हिस्सा, मोहल्ला- शिव गढ़ी, मजीदपुरा के पास, बुलंदशहर रोड जिला-हापुड़ यूपी-245101** को मांग सूचना दिनांक **22.10.2024** को जारी किया था जिसमें मांग सूचना में उल्लेखित राशि रु. **16,43,940.29** (रु. सोलह लाख तैतालीस हजार नौ सौ चालीस और पैसे उनतीस मात्र) दिनांक 22.10.2024 तक और भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे एवं अन्य आकस्मिक प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता/गारंटर राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता/गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (4), उक्त नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **07.02.2025** को लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **बैंक ऑफ इंडिया, केशवनगर शाखा, शिक्षा भारती मोदीनगर रोड केशवनगर जिला हापुड** के प्रभार वास्ते रु. **16,43,940.29** (रु. सोलह लाख तैतालीस हजार नौ सौ चालीस और पैसे उनतीस मात्र) दिनांक 22.10.2024 तक और भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे एवं अन्य आकस्मिक प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

रिहायशी सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट नं. 17, खसरा नं. 816 का हिस्सा, मोहल्ला- शिव गढ़ी, मजीदपुरा के पास, बुलंदशहर रोड, हापुड़ यूपी-245101 (मूल बिक्री विलेख संख्या 3041 दिनांक 23.05.2016), क्षेत्रफल 66.92 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री नदीम अली अब्बासी पुत्र निजामुद्दीन के नाम पर है। चौहद्दीः पूरब में – सड़क 20 फीट चौड़ी, पश्चिम में – प्लॉट नं. 25, उत्तर में – प्लॉट नंबर 16, दक्षिण में – प्लॉट नंबर 18

दिनांक : 07-02-2025, स्थान : हापुड़

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालयः एंजेल पब्लिक स्कूल (3945), विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली–110032

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

परिशिष्ट-IV [नियम-8(1)] देखें

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,** एंजल पब्लिक स्कूल शाखा, दिल्ली के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक माँग सूचना दिनाँकित 06–11–2024 निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ताओं एवं गारंटरों : **(1)** मैसर्स श्री कृष्णा एंटरप्राइजेज, प्रोप. श्री दीपक गौड़, **(2)** श्री भूपिंदर आर्य को, सूचना में अंकित राशि, 06.11.2024 के अनुसार, **रु. 5,56,361/– (रुपये पाँच लाख छप्पन हजार तीन सौ इकसठ मात्र)** का पूर्ण भुगतान होने तक राशि पर नियत भावी ब्याज तथा अन्य शुल्कों के साथ, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

चूँकि ऋणकर्तागण बकाया देयराशियों का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहाँ इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 4 फरवरी 2025 को, अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, 06.11.2024 के अनुसार, **रु. 5,56,361/– (रुपये पाँच लाख छप्पन हजार तीन सौ इकसठ मात्र)** की एक राशि तथा राशि पर नियत भावी ब्याज, लागत, इत्यादि हेतु **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,** एंजल पब्लिक स्कूल शाखा, दिल्ली के प्रभाराधीन होगा।

ऋणकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

अचल संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो प्रथम तल, डब्ल्यूजेड–507ए, भूखण्ड सं. बी–5ए पर निर्मित, भूमि मापन 103 वर्ग गज, खसरा सं. 65/10/2, 65/11, 65/12 में से, ग्राम पालम के क्षेत्र, दिल्ली राज्य, राज नगर–I के नाम से विदित कॉलोनी, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली– 110045 में स्थित है।

सीमायें :–
पूर्व– सड़क **पश्चिम– गली**
उत्तर– अन्य की संपत्ति **दक्षिण– अन्य की संपत्ति**

स्थानः दिल्ली
तिथिः 04/02/2025

प्राधिकृत अधिकारी,
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालयः पटेल नगर, गाज़ियाबाद, उ0प्र0

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

परिशिष्ट-IV [नियम-8(1)] देखें

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,** पटेल नगर गाजियाबाद शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (द्वितीय) अधिनियम 2002 (2002 का अधि. 3) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक माँग सूचना दिनाँकित 30–07–2024 निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ताओं : श्री संजय चौधरी पुत्र राम भरोसे को, सूचना में अंकित राशि **रु. 13,07,663.20/– (रुपये तेरह लाख सात हजार छह सौ तिरेसठ एवं बीस पैसे मात्र)** का राशि पर नियत भावी ब्याज के साथ, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

चूँकि ऋणकर्तागण बकाया देयराशियों का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ताओं तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहाँ इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 07/02/2025 को, अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, **रु. 13,07,663.20/– (रुपये तेरह लाख सात हजार छह सौ तिरेसठ एवं बीस पैसे मात्र)** की एक राशि तथा राशि पर नियत ब्याज हेतु **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,** पटेल नगर गाजियाबाद शाखा के प्रभाराधीन होगा।

ऋणकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो श्री संजय चौधरी के नाम पर, मकान नं. 875/सी, तृतीय तल, न्याय खण्ड–1, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, पिन– 201014 में स्थित है।

संपत्ति का क्षेत्रफल– 209.95 वर्ग फुट, तथा निम्नानुसार परिसीमित है :
उत्तर– ब्लॉक
दक्षिण– मकान नं. 874 सी
पूर्व– मकान नं. 876 सी
पश्चिम– भूखण्ड सं. 878 सी

स्थानः गाजियाबाद
तिथिः 07/02/2025

(प्राधिकृत अधिकारी)
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India undertaking

नोएडा सेक्टर–15, शाखा राजेन्द्रा कॉम्पलेक्स, नयाबांस नोएडा, सेक्टर–15, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर–201301 (उ.प्र.)

बिक्री सूचना

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्ति की बिक्री हेतु सूचना

एतद्द्वारा जनसामान्य को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटर (रों) को नोटिस दिया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति जिसका सांकेतिक/भौतिक (नीचे उल्लिखित विवरण) का कब्जा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा लिया गया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नीचे दिए गए कर्जदार(रों), बंधककर्ता(ओं) और गारंटर (रो) से राशि की वसूली के लिए लेनदार को प्रतिभूत संपत्ति **"जैसा है जहां है", 'जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है"** आधार पर बेचा जाएगा।

क्र. सं.	कर्जदार तथा गारंटर का नाम और पता	नीलामी हेतु रखी चल/अचल सम्पत्ति का विवरण	रचनात्मक या भौतिक कब्जा	कर्जदार/गारंटर से वसूली योग्य बकाया (रु.)	आरक्षित मूल्य (रु.) ईएमडी बोली वृद्धि	नीलामी की तिथि और समय
1	मेसर्स कृष्णा इलेक्ट्रोपार्ट प्राइवेट लिमिटेड, रजि. कार्यालय.-डब्ल्यूजेड-256/डी प्रथम तल खसरा नंबर 1595, इंदरपुरी नई दिल्ली 110012 साथ हीः सी-47, सेक्टर-7 नोएडा गौतमबुद्ध नगर उ.प्र.-201301 आदित्य नाथ मिश्रा, निदेशक/बंधककर्ता-मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रोपार्ट प्राइवेट लिमिटेड, डब्ल्यू जेड-256/डी प्रथम तल खसरा नंबर 1595 इंद्रपुरी नई दिल्ली 110012, निभा मिश्रा, निदेशक-मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रोपार्ट प्राइवेट लिमिटेड, डब्ल्यूजेड-256/डी प्रथम तल खसरा नंबर 1595 इंद्रपुरी नई दिल्ली 110012	डब्ल्यूजेड-256/डी, प्रथम तल, खसरा नं. 1595, इंदरपुरी, नई दिल्ली-110012, माप 158.8/9 वर्ग गज	भौतिक कब्जा	रु. 37,37,743.62 + 05.02.2025 तक प्रभारित ब्याज	रु. 54,16,000/– रु 5,41,600/– रु. 54,000/–	11-03-2025 12:00 बजे दोपहर से 05:00 बजे अप.

पंजीकरण और लॉगिन और बोली लगाने के नियमों के लिए आगे बोली लगाने वाले केवल **https://baanknet.com** तथा **https://www.unionbankofindia.co.in/auction-property/view-auction-property.aspx** पर जाएं। बिक्री के विस्तृत नियमों और स्थिति के लिए, कृपया **https://baanknet.com** में दिए गए लिंक को देखें।

नोटः बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे केवाईसी को वेबसाइट/पोर्टल को नीलामी की तारीख से कम से कम 2-3 दिन पहले और ईएमडी को किसी भी असुविधा से बचने के लिए नीलामी की तारीख से 2 दिन पहले जमा किए जा सकते हैं।

दिनांकः 08-02-2025, स्थानः नोएडा

अधिकृत प्राधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत बिक्री सूचना

एसपीजी ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड –परिसमापन में

परिसमापक कार्यालयः 5203, डीएलएफ सिटी फेज –4, गुड़गांव, हरियाणा–122002

ई–नीलामी की तिथि और समयः सोमवार, 10 मार्च, 2025 सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक

मैसर्स एसपीजी ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड – परिसमापन में बी –363, 364 और 365, नेहरू ग्राउंड, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा–121001, भारत की माननीय एनसीएलटी, चंडीगढ़ द्वारा द्वारा दिनांक 07.08.2023 के आदेश द्वारा नियुक्त परिसमापक, **"जैसा है" "जहां है", "जो कुछ भी है"**, और **"कोई सहारा आधार नहीं"**, की बिक्री के लिए बोलियां आमंत्रित करने के लिए बड़े पैमाने पर जनता को सूचना दी जाती है।

क्र. सं.	व्यापार/संपत्ति की प्रकृति और विवरण	आरक्षित मूल्य (रू.में)	ईएमडी (रू.में)	वृद्धिशील बोली राशि (रू.में)
ए	**एक चालित कंपनी के रूप में कॉर्पोरेट देनदार की बिक्री** ई–नीलामी की तिथि और समयः सोमवार, 10 मार्च, 2025 सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक			
	एक चालित कंपनी के रूप में कॉर्पोरेट देनदार की बिक्री (परिसमापन विनियम, 2016 के विनियमन 32 (ई) के तहत) जिसमें भूमि और भवन शामिल हैं और सीमित हैं	59,78,000	2,00,000	25,000
बी	**पार्सल में परिसंपत्तियों की बिक्री (यदि क्रमांक ए के तहत नीलामी के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं हुई)** ई–नीलामी की तिथि और समयः सोमवार, 10 मार्च, 2025 दोपहर 01 बजे से दोपहर 03:30 बजे तक			
	प्लॉट संख्या बी 363,364,365, नेहरू ग्राउंड, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा–121001 पर द्वितीय तल, भूमि और भवन, छत सहित	59,78,000	2,00,000	25,000

पात्रता दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि कार्यवाही से वापस लेने का पूर्ण अधिकार है।	7 मार्च, 2025 को विस्तार से उल्लिखित तरीके से ई–नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज
कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों का निरीक्षण	9 फरवरी 2025 से 7 मार्च 2025 तक
बयाना राशि जमा करने की अंतिम तिथि	7 मार्च 2025
योग्य बोलीदाताओं के लिए ई–नीलामी की तिथि और समय	10 मार्च, 2025 को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 03:30 बजे तक

ई–नीलामी के नियम और शर्तें:

1. बिक्री **"जहां है जैसा है", "जो है जैसा है", "जो कुछ भी है" और "कोई सहारा नहीं"** के आधार पर होगी, क्योंकि इस तरह की बिक्री किसी भी तरह की वारंटी और क्षतिपूर्ति के बिना होगी।
2. बिक्री ई–नीलामी प्लेटफॉर्म (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) के माध्यम से नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा की जाएगी।
3. दस्तावेज लिक्विडेटर को ईमेल के माध्यम से **liquidator.spgglobalpvt@gmail.com** पर और विस्तृत ई–नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज में निर्धारित प्रारूप में हार्ड कॉपी 7 मार्च, 2025 को या उससे पहले जमा किए जाने चाहिए। पूरी ई–नीलामी प्रक्रिया के विस्तृत नियमों और शर्तों के साथ बोली फॉर्म वेबसाइट**https://right2vote.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।
4. भावी बोलीदाताओं को ईओआई प्रस्तुत करने के दौरान यह वचन देना होगा कि वे धारा 29ए के तहत किसी भी तरह की अयोग्यता से ग्रस्त नहीं हैं। इसके अलावा, यदि किसी भी स्तर पर अयोग्य पाया जाता है, तो जमा की गई बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।
5. परिसमापक उच्चतम बोलीदाता घोषित करने के तीन दिनों के भीतर उचित जांच करेगा और उच्चतम बोलीदाता की पात्रता को सत्यापित करेगा और इसे हितधारक परामर्श समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। परिसमापक उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित करेगा या हितधारक परामर्श समिति के साथ परामर्श के बाद ऐसी बोली को अस्वीकार कर देगा।
6. यदि उच्चतम बोली लगाने वाला अयोग्य पाया जाता है, तो परिसमापक परामर्श समिति के परामर्श से उचित परिश्रम और सत्यापन के बाद अगले उच्चतम बोली लगाने वाले को सफल बोलीदाता घोषित कर सकता है।
7. यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आमंत्रण संभावित बोलीदाताओं को आमंत्रित करने के लिए है और बिक्री को प्रभावी बनाने के लिए परिसमापक या कंपनी की ओर से किसी भी प्रकार का बाध्यकारी दायित्व नहीं बनाता है। परिसमापक प्रक्रिया को रद्द करने या संशोधित करने और/या किसी भी इच्छुक पक्ष/संभावित निवेशक/बोलीदाता को बिना कोई कारण बताए और बिना किसी दायित्व के स्वीकार न करने और/या अयोग्य घोषित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
8. ईएमडी जमा करने और प्रक्रिया में भाग लेने से पहले विस्तृत ई–नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज से सभी नियम और शर्तों को अनिवार्य रूप से संदर्भित किया जाना चाहिए। परिसमापक से **liquidator.spgglobalpvt@gmail.com**, पर संपर्क किया जा सकता है।
9. प्रत्येक विकल्प/लॉट के लिए ईएमडी जमा करने पर दो विकल्पों में बोली लगाने की अनुमति होगी।
10. यदि विकल्प ए के तहत उच्चतम बोलीदाता उपरोक्त बिंदु में उल्लिखित बोली मूल्य की पेशकश करता है, तो विकल्प ए के तहत एच 1 बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा और विकल्प बी के तहत ई–नीलामी रद्द हो जाएगी।
11. परिसमापक को किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने या ई–नीलामी को स्थगित/स्थगित/रद्द करने या किसी भी संपत्ति या उसके हिस्से को किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए नीलामी कार्यवाही से वापस लेने का पूर्ण अधिकार है।

दिनांक: 09.02.2025
स्थान: गुडगांव

हस्ता /–
प्रमोद कुमार मिश्रा
परिसमापक – एसपीजी ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन के तहत)
आई बीआई बी पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-001/IP-P-02669/2022-2023/14099
एएफए 30.06.2025 **तक मान्य है**

SBI

ऋणग्रस्त परिसंपत्तियाँ वसूली शाखा (एसएआरबी–I) करोल बाग, नई दिल्ली (शाखा कोड 51521)
तृतीय एवं चतुर्थ तल, स्टेट बैंक हाउस, 18/4 आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली– 110 005, दूरभाष : 011– 28752163, फैक्स : 28755674
शाखा ई–मेल : sbi.51521@sbi.co.in

परिशिष्ट–IV–ए" (नियम 9(1) का प्रावधान देखें) अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत बैंक के पास प्रभारित चल / अचल परिसंपत्तियों का विक्रय।

भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी (प्रतिभूत ऋणदाता) ने सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत निम्नलिखित संपत्ति / यों का अधिग्रहण (साँकेतिक / भौतिक) कर लिया है। एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में ऋणकर्ताओं, बंधककर्ताओं एवं गारंटरों को सूचित किया जाता है कि बैंक की बकाया राशियों की वसूली करने हेतु निम्न वर्णित प्रकरणों के अंतर्गत प्रभारित संपत्ति / यों की ई–नीलामी (सरफॉएसि अधिनियम 2002 के अंतर्गत) 28–02–2025 को **"जैसी है जहां है आधार", "जैसी है जो है आधार" तथा "वहां जो कुछ भी है आधार"** पर आयोजित की जायेगी, जो ऋणकर्ताओं, गारंटरों एवं बंधककर्ताओं की ओर से प्रतिभूत ऋणदाता को देय–भुगतेय निम्नांकित राशि की वसूली हेतु की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जो जमा की जानी हैं, उनका अंकन यहाँ नीचे किया गया है।

निरीक्षण हेतु संपत्ति पर जाने की तिथि / समय : 24–02–2025 को 11.00 से 03.00 बजे तक

आरक्षित मूल्य की ईएमडी को बोलीदाताओं द्वारा, बोलीदाता के बैंक से एनईएफटी के माध्यम से, पीएसबी एलायंस की अपनी ई–नीलामी साइट https://ebray.in तथा https://baanknet.com पर अनुरक्षित उसके / उसकी / अपने बोलीदाता खाता पर उत्पन्न चालान के माध्यमों से अंतरित किया जाना है।

ई–नीलामी की तिथि / समय : 28–02–2025 को 4 घंटों हेतु 11.00 से 03.00 बजे तक, 10 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार सहित

क्र. सं.	ऋणकर्ताओं) / गारंटरों के नाम	बकाया देयराशियाँ, जिनकी वसूली हेतु संपत्ति/याँ बेची जा रही है/हैं	संपत्ति / यों का विवरण तथा स्वामित्व विलेख धारक का नाम	आरक्षित मूल्य ईएमडी (आरक्षित मूल्य की 10%) बोली वृद्धि राशि
1.	1. **श्री कुलदीप बब्बर पुत्र श्री चमन लाल** और स्वर्गीय चमन लाल के कानूनी उत्तराधिकारी अर्थात **1. श्री कुलदीप बब्बर** पुत्र श्री चमन लाल, **2. श्रीमती पूनम बब्बर** पत्नी स्वर्गीय विश्वास बब्बर, **3. श्रीमती मनीषा शर्मा** पत्नी श्री मयंक शर्मा (स्वर्गीय विश्वास बब्बर की पुत्री)	**रु. 57,39,217.00** (रुपये सत्तावन लाख उनतालिस हजार दो सौ सत्रह मात्र) 06/11/2023 के अनुसार साथ में भविष्य का ब्याज और शुल्क	एक निर्मित फ्लैट जिसका नंबर डी–11/एस–1 है, जो द्वितीय तल पर पीछे की तरफ, केवल छत के स्तर तक, क्षेत्रफल 160 वर्ग गज अर्थात् 133.78 वर्ग मीटर, एच.आई.क्यू. श्रेणीके अंतर्गत, एक आवासीय इकाई, जैसी जहाँ है की स्थिति में, सीढ़ियों, उपमार्ग और अन्य सामान्य सुविधाओं के सामान्य अधिकारों के साथ, ऊपर बताए गए प्लॉट नंबर डी–11 पर निर्मित, खसरा नं. 1076/5/2/424 में से, दिलशाद एक्सटेंशन 1 में स्थित, जिसे अब दिलशाद कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, गाँव झिलमिल ताहिरपुर, इलाका शाहदरा, दिल्ली– 110095 के क्षेत्र में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :– पूर्व– सड़क, पश्चिम– सर्विस लेन, उत्तर– प्लॉट नंबर डी–10, दक्षिण– प्लॉट नंबर डी–12 (बैंक के पास भौतिक अधिग्रहण) **अन्य ऋणभार :– बिक्री डीआरटी I दिल्ली में प्रस्तुत एसए नंबर 95/2024 के परिणाम के अधीन होगी।**	रु. 119.00 लाख रु. 11.90 लाख रु. 1.00 लाख
2.	**मैसर्स पूजा ऑटो प्रोडक्ट्स,** तथा इसके गारंटर / बंधककर्ता **श्री बृज भूषण अग्रवाल**	**रु. 84,99,911.44** (रुपये चौरासी लाख निन्यानबे हजार नौ सौ ग्यारह तथा चौवालीस पैसे मात्र) 25.01.2019 के अनुसार साथ में भविष्य का ब्याज और शुल्क।	मकान संख्या 154 (जीएफ+2), खसरा संख्या 542, साबुन गोदाम, पुरानी गुड़ मंडी, मलियाना, बागपत रोड, मेरठ, माप 191.18 वर्ग मीटर, श्री बृज भूषण अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय किशन चंद अग्रवाल के नाम पर। इस प्रकार परिसीमित है :– पूर्व– 106' गली विक्रेता की संपत्ति श्री लीलापथ को किराए पर दिए जाने के बाद, पश्चिम– 100' विक्रेता की संपत्ति अशोक कुमार को किराए पर दिए जाने के बाद, उत्तर– 51'4" ग्रास फार्म (सैन्य) के बाद, दक्षिण– 47'8" मुख्य सड़क। **(बैंक के पास भौतिक अधिग्रहण) अन्य ऋणभार :– यदि कोई हो, ज्ञात नहीं**	रु. 77.00 लाख रु. 7.70 लाख रु. 1.00 लाख
3.	**मतीन अहमद और अतीक अहमद** और इसके गारंटर **अरुण कुमार त्यागी**	**रु. 28.40 लाख** (अट्ठाईस लाख चालीस हजार मात्र) 31.07.2021 के अनुसार भविष्य साथ में भविष्य का ब्याज और शुल्क।	मकान नंबर 153 (जीएफ+एफएफ), राहुल विहार फेज– 2 खसरा नं. 195/30, गली नं.–4, सेक्टर– 12, प्रताप विहार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, माप 41.80 वर्ग मीटर, जो अतीक अहमद के नाम पर तथा निम्नानुसार परिसीमित है :– पूर्व– संपत्ति सं. 152, पश्चिम– अन्य संपत्ति, उत्तर– 15' रोड / मकान नं. 124ए, दक्षिण– अन्य संपत्ति। **(बैंक के पास भौतिक अधिग्रहण) अन्य ऋणभार :– यदि कोई हो, ज्ञात नहीं है।**	रु. 20.00 लाख रु. 2.00 लाख रु. 0.10 लाख
4.	**मैसर्स मोहन ट्रेडर्स**	**रु. 2,12,60,916.00** (रुपये दो करोड़ बारह लाख साठ हजार नौ सौ सोलह मात्र) 16.12.2019 के अनुसार साथ में भविष्य का ब्याज, शुल्क और व्यय।	स्वामित्वधारक आवासीय प्लॉट नंबर 2374–टी–21, खसरा नंबर 271/284 में से, गांव– पाना मामुरपुर राज शाही रोड, बवाना रोड, नरेला, दिल्ली–110040 में स्थित, माप 209.03 वर्ग मीटर, श्रीमती शुशीला देवी पत्नी श्री राम कुमार के नाम पर। निम्नानुसार परिसीमित है :– पूर्व– संकरी गली / प्रवेश, पश्चिम : अन्य की संपत्ति, उत्तर : अन्य की संपत्ति संख्या 2373–टी–20, दक्षिण– अन्य संपत्ति संख्या 2375–टी–22 **(बैंक के पास भौतिक अधिग्रहण) अन्य ऋणभार :– यदि कोई हो, ज्ञात नहीं**	रु. 59.00 लाख रु. 5.90 लाख रु. 1.00 लाख
5.	**श्री मुकेश कुमार**	**रु. 44.00** (चौवालीस लाख मात्र) 31.12.2020 के अनुसार साथ में भविष्य का ब्याज, शुल्क और व्यय।	प्लॉट संख्या एच–1, अब एम.सी.एफ. मकान संख्या–डी–851, मस्जिद के पास, डबुआ कॉलोनी, एन.आई.टी. फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित तथा श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री गोपी राम के नाम पर, माप 50 वर्ग गज और निम्नानुसार परिसीमित है :– पूर्व– प्लॉट संख्या ई–38, पश्चिम– प्लॉट संख्या एच–2, उत्तर– प्लॉट संख्या एच–1/रोड, दक्षिण– प्लॉट संख्या एच–17 **(बैंक के साथ साँकेतिक अधिग्रहण)** **अन्य ऋणभार :– यदि कोई हो, ज्ञात नहीं**	रु. 9.00 लाख रु. 0.90 लाख रु. 0.10 लाख
6.	**श्री पंकज कुमार पुत्र श्री रामेश्वर दास** और इनके गारंटर **श्री मनोज भाटी पुत्र राजवीर सिंह भाटी**	**रु. 10,32,670.00** (रुपये दस लाख बत्तीस हजार छह सौ सत्तर मात्र) 20.11.2015 के अनुसार साथ में भविष्य का ब्याज, शुल्क और व्यय।	प्लॉट सं. 425–डी पर स्थित तृतीय तल का फ्लैट, जो राम नगर, मोह. इस्माइल खान उर्फ तुरब नगर, गाजियाबाद में स्थित, छत के अधिकारों के साथ है, जिसकी माप 30.75 वर्ग मीटर है, जो श्री पंकज कुमार पुत्र श्री रामेश्वर दास के नाम पर है तथा निम्नानुसार परिसीमित है :– पूर्व– मिश्रा जी का घर, पश्चिम– 5 फीट गली, उत्तर– मुसद्दी लाल का घर, दक्षिण– हरबंस लाल का घर। **(बैंक के पास भौतिक अधिग्रहण)** **अन्य ऋणभार :– यदि कोई हो, ज्ञात नहीं है।**	रु. 8.50 लाख रु. 0.85 लाख रु. 0.10 लाख

संपर्क हेतु व्यक्तियों के नाम : सुश्री श्रावणी श्रीकांत पोतदार- 9891915551, श्री राजेश कुमार- 9431384994

खाता / वॉलेट जिसमें ईएमडी जमा की जानी है : बोलीदाताओं का अपना वॉलेट जो पीएसबी एलायंस के पास इसकी ई–नीलामी साइट : https://baanknet.com/eauction-psb/x-login पर एनईएफटी के माध्यमों से पंजीकृत है। आरक्षित मूल्य की ईएमडी को बोलीदाताओं द्वारा अपने / उसके / उनके बैंक से एनईएफटी के माध्यम से मैसर्स पीएसबी एलायंस की इसकी अपनी ई–नीलामी साइट : https://baanknet.com/eauction-psb/x-login पर / के पास अनुरक्षित अपने / उसके / उनके बोलीदाता के खाता पर उत्पन्न किये गये चालान के माध्यमों से अंतरित किया जाना है। किसी भी सहायता के लिये, कृपया पीएसबी एलायंस हेल्पडेस्क नंबर 91 8291220220 पर कॉल करें और / या प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें।

ई–नीलामी के नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :

(1) ई–नीलामी का आयोजन **"जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" तथा "वहां जो कुछ भी है"** आधार पर किया जा रहा है और "ऑन लाइन" आयोजित किया जायेगा। नीलामी, बैंक की अनुमोदित सेवा प्रदात्री पीएसबी एलायंस के माध्यम से उसके वेब पोर्टल : https://ebkray.in तथा https://baanknet.com पर आयोजित की जाएगी।

(2) प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और सूचना के अनुसार यहां संपत्ति/यों पर कोई ऋणभार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाता को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले ऋणभारों, नीलामी पर रखी गई संपत्ति/संपत्तियों के स्वामित्व तथा संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों / अधिकारों / देयताओं के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ कर लेनी चाहिये। ई–नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी भी प्रतिबद्धता या अभिवेदन को संस्थापित नहीं करता और न ही संस्थापित करता हुआ माना जायेगा। संपत्ति को बैंक को ज्ञात या अज्ञात सभी विद्यमान और भविष्य के ऋणभारों के साथ बेचा जा रहा है। प्राधिकृत अधिकारी किसी तीसरे पक्ष के दावों / अधिकारों / देयताओं के लिये किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होंगे।

(3) सफल बोलीदाता की बयाना राशि जमा (ईएमडी) को आंशिक विक्रय प्रतिफल के रूप में सुरक्षित रखा जायेगा और असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। बयाना राशि जमा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति पर तुरंत विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत जमा करना होगा और विक्रय मूल्य का शेष, विक्रय के 15वें दिन या उससे पहले जमा करना होगा। सफल बोलीदाता द्वारा राशि जमा करने में चूक होने पर पहले से जमा की गई पूरी धनराशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से नीलामी के लिए रखा जाएगा और चूककर्ता बोलीदाता का संपत्ति / राशि के संबंध में कोई भी दावा / अधिकार नहीं होगा।

(4) विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया बैंक की सेवा प्रदात्री के वेब पोर्टल https://ebkray.in, https://baanknet.com तथा बैंक के पोर्टल https://www.sbi.co.in पर उपलब्ध लिंक देखें।

नीलामी सूचनायें, एसबीआई के समस्त नामिकाबद्ध समाधान अभिकर्ताओं के लिये खुली हैं

दिनांक : 07–02–2025, स्थान : नई दिल्ली

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, एसएआरबी–I, करोल बाग, नई दिल्ली (शाखा कोड 51521)

www.readwhere.com